FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

रामस्वरूप बनाम भूमिधारी

मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी (एलआर एक्ट अर्न्त. धारा 128) मु0नं0 407 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/727

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 18.08.2025 को पेश हो।	

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज न्यायिक कार्य का स्थगन कर रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/8/25 को पेश हो।

21/08/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 16.06.2025 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 16.06.2025 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सम्यक मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 16.06.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer S
Yadav
Date: 2025.08.28 12:31:57 IS
Reason: SelfAttested

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम भगोट पटवार हल्का भगेगा तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 178, 188, 189 कुल किता 03 कुल रकबा 1.09 है0 में प्रार्थी, सहखातेदारान तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 16.06.2025 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:31:57 IST
Reason: SelfAttested